"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53]　　रायपुर, मंगलवार दिनांक 19 फरवरी 2013—माघ 30, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 फरवरी, 2013 (माघ 30, 1934)

क्रमांक-2247/विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2013 (क्रमांक 1 सन् 2013) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2013

वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये राज्य की संचित निधि में से 8,86,88,31,200/- रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए आठ सौ छियासी करोड़, अठयासी लाख, इक़तीस हजार, दो सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	100	0	100
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	28,90,000	[illegible]	28,90,000
10	वन	राजस्व	16,83,00,000	0	16,83,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	44,90,100	0	44,90,100
		पूंजी	600	0	600

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,70,00,00,000	0	4,70,00,00,000
		पूंजी	2,04,00,00,000	0	2,04,00,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	3,36,00,000	0	3,36,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	4,00,00,100	0	4,00,00,100
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	100	0	100
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	5,45,000	0	5,45,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,000	0	1,00,000
36	परिवहन	राजस्व	200	0	200
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,59,43,100	0	1,59,43,100
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	45,52,19,200	0	45,52,19,200
		पूंजी	300	0	300
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	38,00,00,000	0	38,00,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	3,00,00,100	0	3,00,00,100
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	पूंजी	45,23,000	0	45,23,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	72,00,000	0	72,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	14,20,00,000	0	14,20,00,000
		पूंजी	50,00,100	0	50,00,100
65	विमानन विभाग	राजस्व	100	0	100
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	22,50,00,000	0	22,50,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	58,00,00,000	0	58,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,33,19,000	0	2,33,19,000
		योग - राजस्व	**6,81,93,07,100**	**0**	**6,81,93,07,100**
		पूंजी	**2,04,95,24,100**	**0**	**2,04,95,24,100**
		वृहद योग	**8,86,88,31,200**	**0**	**8,86,88,31,200**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 18 फरवरी, 2013

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.